

# न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 ..... 55/19 ..... ता0 रजु. 16-9-19 ..... किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 26-9-19

सरकार

बनाम

मंगती पूत्र हरजन चाकड़ बृम्हवाद्

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का बृम्हवाद् ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम बृम्हवाद् के खसरा न0 399 रकवा 0-49 हैक्ट में से रकवा 0-04 हैक्ट किस्म भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में श्री मंगती पूत्र हरजन चाकड़ बृम्हवाद् तह0 बयाना ने वाजरा कर अतिक्रमण कर लिया है।


हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण किया जाना साबित होता है अतः अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 399 रकवा 0-04 हैक्ट वाके ग्राम बृम्हवाद् से बेदखल किया जाता है। लगान 0-64 का 50 गुणा पैन्लटी राशि 32/00 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्लटी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैन्लटी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

किस बयानवाली को माय तामब  
न. न. नं. 04 के पेश नं. .... 15  
दिनांक 20/9/19 को बर 2019-20  
पैन्लटी रु. 32 ..... फसल नीलामी  
को जा चुका है।

तहसीलदार  
बयाना

  
तहसीलदार  
बयाना (भरतपुर)

